न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा, आई0ए0एस0)

अपील संख्या 31 / 12 (अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट)

1. सुगड सिंह । पुत्रान किरोडी जाति जाट निवासी अलीपुर तह. वैर
2. बदन सिंह । जिला भरतपुर

.... अपीलाण्टस

बनाम

1. गुड्डी पुत्री उदयवीर पत्नी प्रेमसिंह जाति जाट निवासी गाजोली तह. व जिला मथुरा, उ.प्र. वर्तमान निवास कुरका, तहसील रूपवास जिला भरतपुर

....................रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार वैर नामान्तरण संख्या 875 दिनांक 23.11.2011 ग्राम अलीपुर तहसील वैर जिला भरतपुर

अपील संख्या 32 / 12 (अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट)

1. सुगड सिंह । पुत्रान किरोडी जाति जाट निवासी अलीपुर तह. वैर
2. बदन सिंह । जिला भरतपुर

.... अपीलाण्टस

बनाम

गुड्डी पुत्री उदयवीर पत्नी प्रेमसिंह जाति जाट निवासी गाजोली तह. व जिला मथुरा, उ.प्र. वर्तमान निवास कुरका, तहसील रूपवास जिला भरतपुर

....................रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार वैर नामान्तरण संख्या 851 दिनांक 23.11.2011 ग्राम अलीपुर तहसील वैर जिला भरतपुर

उपस्थिति :–

श्री महाराज सिंह डागुर, एडवोकेट अपीलान्टस

निर्णय दिनांक 04.07.2022

उपरोक्त दोनों अपीलें राजस्थान राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत ...ीलदार वैर द्वारा नामान्तकरण संख्या 851 व 875 दिनांक 23.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत ...ई है। दोनों अपीलों में समान पक्षकार एवं समान विवादित बिन्दु होने के कारण इनका ...रण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

...युक्त
...भरतपुर

उपरोक्त दोनों अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम अलीपुर के शेर सिंह पुत्र किरोडी की मृत्यु के बाद उसका नामान्तरण उसके निःसंतान व पत्नि विहीन मरने के कारण अपीलान्टस के हक में पटवारी हल्का द्वारा भरकर पेश किया तथा खाना संख्या 16 में उसकी लडकी होना व पत्नि का खानन्दाज होना अंकित करते हुए अपीलान्ट जो कि मृतक के भाई है के हक में स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया जिसे तहसीलदार वैर ने कैम्प अलीपुर उक्त नामान्तरण को खारिज कर पुनः वारिसान की जॉच का निर्णय करने हेतु दिनांक 25.08.1998 को आदेश दिया। इस आदेश की अपील अपीलान्टस की ओर से अति. जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष किये जाने पर अपील को स्वीकार कर आदेश दिनांक 28.09.2007 के द्वारा पुनः निर्णय करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अदालत हाजा में प्रस्तुत की गई जिसे आदेश दिनांक 18.11.2011 के द्वारा निरस्त किया गया तथा अति. कलक्टर, भरतपुर के आदेश को बहाल रखा। जिसके द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर पुनः निर्णित करने हेतु तहसीलदार वैर को भेजा गया था। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार वैर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण रैस्पोन्डेन्ट के पक्ष में स्वीकार किये गये हैं। जो कि विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। क्योंकि उक्त आदेश अपीलान्टस को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना पारित किये गये हैं। अपील स्तर पर पक्षकारों में मुख्य विवाद यह था कि क्या रैस्पोन्डेन्ट मृतक शेरसिंह की पुत्री है। अपीलान्ट ने उसे उदयवीर निवासी जिरौली(मथुरा) की पुत्री होना कहा है तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर इस तथ्य को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। अदालत मातहत को उपरोक्त विवाद बिन्दु के बारे में दोनों पक्षों की साक्ष्य मौखिक व लिखित लेकर ही नामान्तरण तस्दीक करना चाहिए था परन्तु इस सम्बन्ध में कोई जॉच नहीं की गई। अपीलान्ट ने अदालत मातहत में रैस्पोडेन्ट के पिता उदयवीर का राशनकार्ड पेश किया है जिसमें रैस्पोन्डेन्ट उदयवीर की पुत्री है तथा मृतक खातेदार शेरसिंह की कथित पत्नि बवली रैस्पोन्डेन्ट की मां व उदयवीर की पत्नि है। जिससे स्पष्ट है कि रैस्पोन्डेन्ट मृतक की पुत्री नहीं थी। लेकिन इस बारे में अदालत मातहत ने कोई जॉच नहीं की। रैस्पोन्डेन्ट गुडडी द्वारा सक्षम न्यायालय में मृतक शेरसिंह की आराजी के सम्बन्ध में विरासत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के तहत गुडडी बनाम बदनसिंह आदि प्रकरण संख्या 324/04 प्रस्तुत किया था। जिसे उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा दिनांक 15.10.2009 को खारिज किया गया है। इस प्रकार नियमित वाद में रैस्पोन्डेन्ट गुडडी को मृतक शेरसिंह की भूमि में कोई अधिकार नहीं होना माना है। अदालत मातहत द्वारा अति. जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2007 अदालत हाजा के आदेश दिनांक 18.11.2011 की पालना करते हुए दोनों पक्षों को सुनव पुनः नामान्तकरण करना था। परन्तु अदालत मातहत द्वारा इन निर्देशों की पालना नहीं गई। वरन बिना प्रक्रिया अपनायें मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो अपीलान्टस की अनुपस्थिति में दिया गया है। इस आदेश की जानकारी दिनांक 28.02.2 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई। इसपर नकल हेतु आवेदन कर जानकारी की तिथि अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थन व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की

संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 851 दिनांक 23.11.2011 व 875 दिनांक 23.11.2011 निरस्त क
प्रकरण दोनों पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय करने हेतु अदालत मातहत को प्रेषित किया जावे।

उपरोक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर विवाद सम्बन्धी बिन्दु को निहित रखते हुए स
रजिस्टर्ड की जाकर अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावलियां व रैस्पोन्डेन्ट की तलबी जारि
तामील की गई। रैस्पोन्डेन्ट की ओर से श्री दिनेश श्रीवास्तव एडवोकेट उपस्थित हो प्रक
बहस रैस्पोन्डेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने को वकील अपीलान्ट्स की एक
पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि
विवादित भूमि के खातेदार शेरसिंह की मृत्यु के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा विरासत क
नामान्तरण संख्या 851 दिनांक 05.05.1998 को अपीलान्टस के नाम खोला गया था। जि
आदेश दिनांक 25.08.1998 द्वारा खारिज किया गया। इसके बाद पुन नामान्तरण संख्या 87
दिनांक 15.01.1999 को खोला गया। इस नामान्तरण को दिनांक 18.06.1999 को खारिज क
दिया गया। उक्त दोनों नामान्तरण के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अति. जिला कलक्टर, भरतपु
के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत किये जाने पर निर्णय दिनांक 28.09.2007 के द्वारा अपीलान्टस
की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 851 दिनांक 25.08
1998 व 875 दिनांक 18.06.1999 निरस्त कर तहसीलदार वैर को इस निर्देश के सा
प्रतिप्रेषित किया गया कि मृतक शेरसिंह के विधिक वारिसान की जॉच करे तथा हिन्
उत्तराधिकार अधिनियम के परिपेक्ष्य में सभी सम्बन्धित पक्ष को सुनकर उचित आज्ञा पारि
करें। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्टस द्वारा अदालत हाजा में अपील पेश की गई। जिस
अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 25.10.2011 के द्वारा खारिज कर दिये जाने के कार
तहसीलदार वैर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2011 को पारित किया गया। जोकि
अति. जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2007 में दिये गये निर्देशों क
पालना किये बिना किया गया है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय से पूर्व न त
अपीलान्टस को सुनवाई का मौका दिया और न ही भू–राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधा
की पालना ही की गई। बिना जॉच व सुनवाई के रैस्पोन्डेन्ट के नाम नामान्तरण गलत रूप
खोला गया। जिस समय उक्त नामान्तरण तस्दीक किये गये हैं उस समय पक्षकारों के मध
नियमित वाद भी विचाराधीन थे। परन्तु अदालत मातहत में इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं कि
जबकि वाद विचाराधीन होने के दौरान नामान्तरण तस्दीक नहीं किये जाना चाहिए थ
रैस्पोन्डेन्ट न तो मृतक खातेदार शेरसिंह की लडकी है और न ही विधिक वारिस है
रैसपोन्डेन्ट के पिता उदयवीर हैं जोकि उत्तरप्रदेश में निवास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध
अपीलान्टस द्वारा अदालत मातहत में दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे परन्तु इन्हें नजरन्दा
कर अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किये गये हैं जो कि निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलान
स्वीकार किये जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2011 व इसकी पालना में खोले ग
नामान्तरण संख्या 851 व 875 दिनांक 23.11.2011 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पु
सुनवाई किये जाने हेतु तहसीलदार वैर को भिजवाया जावे।

...यि आयुक्त
... भरतपुर

अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपीलान्टस द्वारा अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.02.2012 को पटवारी हल्का से होने का उल्लेख मिमो ऑफ अपील में किया है। जिसके समर्थन में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है। इसके काउन्टर में रैस्पोन्डेन्ट की ओर से न तो कोई शपथ पत्र ही प्रस्तुत किये हैं और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरणों में दिनांक 28.07.2009 के बाद सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः दिनांक 18.11.2011 को रखी गई है। जिसके सम्बन्ध में अपीलान्टस को कोई नोटिस आदि जारी नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को आधार मानकर अपीलान्टस की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो उक्त निर्णय अदालत मातहत द्वारा अति. जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2007 की पालना में पारित किये गये हैं। जिसमें तहसीलदार वैर को यह निर्देश दिये गए थे कि मृतक शेरसिंह के विधिक वारिसान की जॉच कर तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिपेक्ष्य में सभी सम्बन्धित पक्षकार को सुनकर उचित आज्ञा पारित करें। अदालत मातहत द्वारा अति. जिला कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 28.09.2007 के क्रम में प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलान्ट की ओर से भी अभिभाषक उपस्थित हुए। उभय पक्षकारान द्वारा अदालत मातहत में समय–समय पर विभिन्न दस्तावेजात पेश किये। प्रकरण में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। अदालत हाजा में अपील पेश होने के कारण अदालत मातहत द्वारा 28.07.2009 के बाद उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 14.11.2011 को रैस्पोन्डेन्ट की ओर से अदालत मातहत में अदालत हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2011 की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 18.11.2011 को पत्रावली पेशी में लेकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2011 को पारित कर दिया। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को किसी प्रकार का कोई नोटिस आदि नहीं दिया गया जोकि प्रकरण में दिनांक 28.07.2009 से कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण दिया जाना आवश्यक था। क्योकि जब 28.07.2009 की आदेशिका में यह उल्लेख किया गया था कि प्रकरण सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन है। अतः न्यायालय के निर्णय उपरान्त पत्रावली पुनः पेश करें। तो अदालत मातहत का यह दायित्व था कि अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय की प्रति पेश होने पर अपीलान्टस को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान किया जाता। क्योकि पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में अपीलान्टस द्वारा अदालत मातहत में इस आशय का शपथ पत्र पेश किये गये हैं कि रैस्पोन्डेन्ट मृतक शेरसिंह की पुत्र नहीं थी। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2011 में उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का उल्लेख करते हुए रैस्पोन्डेन्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज को आधार मानकर उक्त निर्णय पारित किया है। तथा अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर दिये जाने का उल्लेख किया है जबकि अदालत मातहत द्वारा अदालत हाजा की ओर से पारित निर्णय की प्रति रैस्पोन्डेन्ट की ओर से प्रस्तुत किये जाने

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपीलान्टस को कोई अवसर नहीं दिया गया है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय उचित नहीं कहे जा सकते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अदालत मातहत की ओर पारित आदेश दिनांक 18.11.2011 जिसकी पालना में अपीलाधीन नामांकन संख्या 857 व 875 दिनांक 23.11.2011 को खोले गये हैं को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार वैर को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अति. जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2007 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से आदेश पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 04.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
भरतपुर